

झारखण्ड सरकार  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(मत्स्य प्रभाग)

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-51/2017-18/  
प्रेषक,

06 /मत्स्य, राँची, दिनांक 15.4.17

पूजा सिंघल, भा० प्र० से०  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

\*अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार\*।

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का कुल मो० 760.00 लाख (सात करोड़ साठ लाख) रू० मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक सामान्य विभागीय राज्यादेश सं० 02 दिनांक 07.04.2016 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 76 दिनांक 07.04.2016, राज्यादेश सं० 06 दिनांक 26.04.2016 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 323 दिनांक 26.04.2016 तथा राज्यादेश सं० 07 दिनांक 18.05.2016 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 647 दिनांक 18.05.2016 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं० 194 दिनांक 11.4.17 के द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कुल मो० 760.00 लाख (सात करोड़ साठ लाख) रू० मात्र की अनुमानित लागत पर मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस योजना अंतर्गत अधिकतम 57,000 तालाबों का सर्वेक्षण कराकर डेटा-इण्ट्री का कार्य, विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, सखी मंडल हेतु जाल सिलाई मशीन, मत्स्य पालकों के लिए कोरेकल्स, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाईल रिचार्ज कूपन, 40000 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी, प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे। साथ ही 7000 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन तथा 10000 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण तथा विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तदनुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत निम्न लघु शीर्षों में बजट में उपबंधित राशि से निम्नांकित मदों में किया जायेगा, जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं संबंधित लघु शीर्षों में राशि का बजट उपबन्ध प्राप्त है:





मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन  
उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मद एवं विपत्र कोड (राशि लाख रु0 में)

क्रमांक	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना	स्वीकृत राशि
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय 53S240500796200109	15.00
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	21 प्रचार/प्रसार/सेमीनार 53S240500796200321	30.00
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S240500796200323	139.75
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S240500796200335	152.85
	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण	
5	43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) 53S240500796200543	9.00
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
6	59 अन्य व्यय 53S240500796200759	53.40
	उप योग :	400.00
लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय 53S240500789200109	1.00
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S240500789200323	15.00
3	35 प्रशिक्षण व्यय 53S240500789200335	39.60
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
4	59 अन्य व्यय 53S240500789200759	4.40
	उप योग :	60.00
लघु शीर्ष -101- अन्तर्देशीय मछली पालन		
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय 53S240500101200109	12.50
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	21 प्रचार/प्रसार/सेमीनार 53S240500101200321	42.00
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S240500101200323	101.00
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S240500101200335	90.66
	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण	
5	43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) 53S240500101200543	13.00
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
6	59 अन्य व्यय 53S240500101200759	40.84
	उप योग :	300.00
तीनों लघु शीर्षों में स्वीकृत राशि का सकल योग- 760.00 लाख रु0 (सात करोड़ साठ लाख रु0) मात्र।		

4. (क) गत वर्ष 2016-17 में मत्स्य प्रसार योजना के स्वीकृत राज्यादेश सं0 06 दिनांक 26.04.2016 के आलोक में तालाबों का सर्वेक्षण कराया जायेगा।

06  
15/4/17

*[Handwritten Signature]*

(ख) विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जायगा, जिस पर प्रति हेक्टेयर 50,000/- रु0 मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिक्री मूल्य निर्धारित कराकर बिक्री की जायगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।

(ग) जिला स्तर पर सखी मंडल के सदस्यों को जाल, हापा आदि के सिलाई का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं जिलावार परिशिष्ट I, II एवं III में उल्लेखित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मशीन, धागा एवं अन्य उपकरणों पर राशि व्यय की जायेगी।

(घ) केज मत्स्य पालकों को मो0 15000/- रु0 की दर से कोरेकल्स दिया जायेगा जिसके लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी उनके मत्स्य उत्पादन के आधार पर सूची तैयार कर कोरेकल्स उपलब्ध कराया जायगा। कोरेकल्स की आपूर्ति शास्कोफिश द्वारा की जायेगी।

(ङ) गत वर्ष 2016-17 के मत्स्य प्रसार योजना के स्वीकृत राज्यादेश सं0 06 दिनांक 26.04.2016 के आलोक में मोबाईल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।

(च) प्रचार/प्रसार/सेमिनार/प्रदर्शनी/डॉक्यूमेंटरी/डाटा इण्ट्री तथा फोटोग्राफी आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। तालाबों के सर्वेक्षण हेतु डाटा इंट्री कार्य अथवा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी इस राशि से कराया जायेगा।

(छ) राज्य, पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य पालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसपर 100/-रु0 प्रतिदिन प्रति मत्स्य पालक की दर से राशि व्यय की जायेगी।

(ज) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों तथा मत्स्य बीज उत्पादकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार स्वरूप/ सम्मानित करने हेतु अधिकतम राशि 20,000/-रु0 प्रति पुरस्कार के रूप में प्रचार-प्रसार एवं विपणन हेतु मोटरसाईकिल के क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त निदेशक मत्स्य की अध्यक्षता में गठित समिति से कराया जायेगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश सं0 06 दिनांक 26.04.2016 द्वारा स्वीकृत मत्स्य प्रसार योजना में एतद विषयक निदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी लागू रहेंगे।

5. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जाँच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही मानदेय एवं वाहन का प्रावधान तथा राशि का भुगतान करेंगे।

6. परिशिष्ट-IV में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क. राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 7000 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 225/-रु0 की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय तथा आवासन पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

ख. मत्स्य बीज उत्पादकों तीन दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 1225/-रु0 की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 150/-रु0 की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति बीज उत्पादक को एवं संस्थागत व्यय के रूप में 75/- रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन तथा प्रशिक्षणार्थियों को आने-जाने हेतु अधिकतम प्रति प्रशिक्षणार्थी 550/- रु0 अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा।

06  
15/4/17

Om

Om

ग. मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/ बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/-रु0 प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/- रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 75/-रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन अनुमानित संस्थागत व्यय के रूप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 400/-रु0 मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय रॉची तक) भुगतान किया जायेगा। प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन-भाड़ा/ बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संस्था द्वारा माँगा गया संस्थागत व्यय भी अनुमान्य होगा।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान् के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

घ. झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0-773 दिनांक 20.06.2013 के तहत मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

7. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक विकलांग नीति, झारखण्ड के तहत इच्छुक विकलांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

8. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पाँच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रूप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

9. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :

क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षण : फैंक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पाँच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 30/- रु0 प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल मो0 1.50 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिक्री की जायगी।

ख. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप रंगीन मछलियों का प्रजनन एवं विस्तारिकरण कार्य तथा महिलाओं के स्वनिर्भर हेतु रंगीन मछलियों के पालन, संवर्धन एवं विपणन हेतु योजना संचालित की जायेगी। पूर्व से संचालित रंगीन मछली ईकाई हेतु महिलाओं को पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

ग. समेकित मत्स्य पालन का कार्य वित्तीय वर्ष 2017-18 में मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया जायेगा एवं इसके विरुद्ध समस्त परिसम्पति एवं देनदारियाँ सहायक मत्स्य निदेशक अनुसंधान द्वारा मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र को हस्तांतरित कर दी जायेंगी।

06  
15/4/17

*(Signature)*

*(Signature)*

घ. म्यूजियम एवं प्रयोगशाला के रख-रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन तथा मत्स्य विपणन/मत्स्य रोग पहचान एवं निदान आदि के लिए आईटी0-बेस्ड कार्यक्रम/ वेबसाईट/मोबाईल एप विकसित कराया जायेगा जिस हेतु निदेशक मत्स्य अलग से संबंधित आवश्यक निदेश निर्गत करेंगे।

10. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो राशि की निकासी दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

11. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे जो विशेष सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय-समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।

12. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक क्रय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।

13. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. वित्तीय वर्ष 2016-17 में मत्स्य प्रसार योजना अन्तर्गत स्वीकृत मो0 490.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध अब-तक मो0 275.00 लाख रु0 मात्र, मत्स्य अनुसंधान योजना अन्तर्गत स्वीकृत मो0 40.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध अब-तक मो0 22.00 लाख रु0 मात्र एवं किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन योजना अन्तर्गत स्वीकृत मो0 260.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध अब-तक मो0 192.00 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।

16. वित्तीय वर्ष 2016-17 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही ~~निदेशक मत्स्य~~ वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन निर्गत किया जायगा।

17. इस योजना अंतर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अंतर्गत ही व्यय होगा।

19. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

20. इस योजना अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है।

21. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

22. उक्त स्वीकृतादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-302 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।


06  
13/4/17

Om

de

23. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।  
24. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06 मत्स्य / राँची , दिनांक 15.04.17

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
15/4/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06 मत्स्य / राँची , दिनांक 15.4.17

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी- सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
15/4/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06 मत्स्य / राँची , दिनांक 15.4.17


प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश/संयुक्त मत्स्य निदेशक/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग (विशेष प्रमंडल) राँची/उप मत्स्य निदेशक (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
15/4/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06 मत्स्य / राँची , दिनांक 15.4.17

प्रतिलिपि : योजना सह वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची / आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



  
15/4/17

सरकार के सचिव

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-

उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत खिलावार शैतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

वित्तुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-अपूर्ति एवं सामग्री

क्र०	स्थापना / खिला का नाम	वित्तुत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09 -मानदेय		विभागीय खिलावों में मिश्रित मत्स्य पालन		सही मंडल हेतु जाल सिलार्ड मशीन, धागा एवं अन्य उपकरण	मत्स्य पालकों के प्रयोजनार्थ कोरेकलस		मोबाईल रिचार्ज कूपन	प्रचार प्रसार सेमिनार, मेला, प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंट्री, बुकलेट, डेटा इन्ट्री, फोटोग्राफी आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	मत्स्य कृषकों की गोष्ठी	पुरस्कार/ सम्मान	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)					
		शैतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	शैतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)		शैतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)						शैतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	शैतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	शैतिक लक्ष्य (सं० में)
1	इबारीबाग	2400	1.20	2.0	1.00	20	3.00	10	1.50	220	1.10	5	1.00	1600	3.20	3	1.00	13.00
2	रामगढ़	1500	0.75	1.0	0.50	0	0.00	4	0.60	160	0.80	3	1.00	1300	2.60	3	0.60	6.85
3	कोइरमा	2400	1.20	1.0	0.50	20	3.00	10	1.50	170	0.85	3	1.00	1200	2.40	3	0.60	11.05
4	चतरा	2000	1.00	0.0	0.00	0	0.00	3	0.45	160	0.80	3	1.00	1300	2.60	3	0.60	6.45
5	बोकारो	4000	2.00	1.5	0.75	20	3.00	5	0.75	200	1.00	4	1.00	1600	3.20	4	0.80	12.50
6	मिर्झीह	2000	1.00	0.0	0.00	0	0.00	3	0.45	170	0.85	3	1.00	1600	3.20	3	0.60	7.10
7	धनबाद	3200	1.60	1.0	0.50	20	3.00	5	0.75	210	1.05	5	1.00	1600	3.20	5	1.00	12.10
8	गोड्डा	2000	1.00	0.5	0.25	0	0.00	2	0.30	190	0.95	3	1.00	1100	2.20	3	0.60	6.30
9	पलामू	1000	0.50	0.5	0.25	10	1.50	0	0.00	120	0.60	2	1.00	1100	2.20	2	0.40	6.45
10	गोड्डा	1000	0.50	0.5	0.25	0	0.00	0	0.00	120	0.60	2	1.00	1100	2.20	2	0.40	4.95
11	देवर	3500	1.66	4.0	2.00	20	3.00	3	0.45	280	1.40	6	1.00	2300	4.64	6	1.20	15.35
12	मत्स्य निदेशालय	0	0.00	0.0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	31.00	0	0.00	0	0.40	31.40
कुल योग :		25000	12.41	12.00	6.00	110	16.50	45	6.75	2000	10.00	42.00	15800	31.64	39	8.20	133.50	

नोट :- कर्णाकित राशि को आवंटन नहीं सम्पन्न जाय।

(एक करोड़ तीस लाख पचास हजार ₹० मात्र)

06/15/17

सरकार के सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (मत्स्य प्रशाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत खिलानार शैतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	स्थापना / विद्या का नाम	वित्तुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री												वित्तुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-21-प्रचार, प्रसार, सेमिनार		वित्तुत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय			कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)
		मत्स्य शिर्षों के द्वारा तालाबों का सर्वे	विभागीय तालाबों में शिक्ति मत्स्य पालन	सही मछल हेतु जाल सिलाने मशीन, धागा एवं अन्य उपकरण	मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण कोरेकस	मोबाइल रिचार्ज रूपन	प्रचार प्रसार सेमिनार, मेला, प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंटरी बुकलेट, डेटा शूटरी, शी० पी० आर०, हैपरी, फोटोग्राफी आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	मत्स्य कृषकों की गोष्ठी	पुरस्कार/ सम्मान										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	राँची	3000	1.50	2.0	1.00	30	4.50	4	0.60	600	3.00	2.00	2500	5.00	4	0.80	18.40		
2	खूँटी	1500	0.75	0.0	0.00	0	0.00	2	0.30	200	1.00	2.00	1800	3.60	2	0.40	8.05		
3	प्रमला	3000	1.50	5.0	2.50	20	3.00	6	0.90	400	2.00	2.00	2000	4.00	3	0.60	16.50		
4	सिमडेगा	1800	0.90	0.5	0.25	10	1.50	4	0.60	200	1.00	2.00	1500	3.00	2	0.40	9.65		
5	लोहेरगा	1200	0.60	1.0	0.50	0	0.00	2	0.30	200	1.00	2.00	1600	3.20	2	0.40	8.00		
6	लोहेरार	1800	0.90	1.0	0.50	10	1.50	2	0.30	250	1.25	2.00	2000	4.00	3	0.60	11.05		
7	प० सिंहभूम	3000	1.50	2.0	1.00	20	3.00	6	0.90	400	2.00	2.00	1800	3.60	3	0.60	14.60		
8	पूर्वी सिंहभूम	3000	1.50	1.0	0.50	0	0.00	6	0.90	250	1.25	2.00	1800	3.60	3	0.60	10.35		
9	सरायकेला	3000	1.50	1.0	0.50	20	3.00	10	1.50	398	1.99	2.00	2400	4.70	3	0.60	15.79		
10	दुमका	2600	1.30	3.0	1.50	20	3.00	4	0.60	350	1.75	2.00	1800	3.60	2	0.40	14.15		
11	जामताड़ा	1800	0.90	3.0	1.50	0	0.00	2	0.30	250	1.25	2.00	1600	3.20	2	0.40	9.55		
12	साहेबगंज	1800	0.90	1.0	0.50	0	0.00	2	0.30	240	1.20	2.00	1200	2.40	2	0.40	7.70		
13	पाकुड़	2500	1.25	1.0	0.50	0	0.00	2	0.30	240	1.20	2.00	1200	2.40	2	0.40	8.05		
14	मत्स्य कि० प्र० के०, राँची	0	0.00	2.0	1.00	0	0.00	0.000	0.00	5	0.18	2.00	0	0.00	0	0.00	3.18		
15	स० मा० नि० अनु०, राँची	0	0.00	0.0	0.00	0	0.00	0.000	0.00	5	0.18	2.00	0	0.00	0	0.00	2.18		
कुल योग :		30000	15.00	23.50	11.75	130	19.50	52	7.80	3988	20.25	30.00	23200	46.30	33	6.60	157.20		

नोट :- कर्णविल राशि को अडवटन नहीं समझा जाय।

(एक करोड़ सत्तावन लाख बीस हजार रु० मात्र)

06  
15/6/17

Signature

पूजा सिधल  
सरकार के सचिव



परिशिष्ट III

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग)मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-

उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-01- वेतन एवं भत्ते- 09-मानदेय		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री				विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय				कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹० में)
		मत्स्य मित्रों के द्वारा तालाबों को सर्वे		सखी मंडल हेतु जाल सिलाई मशीन, धागा एवं अन्य उपकरण		मोबाईल रिचार्ज कूपन		मत्स्य कृषकों की गोष्ठी		पुरस्कार/ सम्मान		
		भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹० में)	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹० में)	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹० में)	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹० में)	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹० में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रौंची	140	0.070	0	0.00	90	0.45	50	0.10	1	0.20	0.82
2	खूँटी	40	0.020	5	0.75	40	0.20	30	0.06	0	0.00	1.03
3	गुमला	120	0.060	0	0.00	50	0.25	50	0.10	1	0.20	0.61
4	सिमडेगा	60	0.030	0	0.00	20	0.10	30	0.06	1	0.20	0.39
5	लोहरदगा	60	0.030	0	0.00	40	0.20	30	0.06	1	0.20	0.49
6	लातेहार	80	0.040	0	0.00	30	0.15	50	0.10	1	0.20	0.49
7	प० सिंहभूम	120	0.060	0	0.00	30	0.15	50	0.10	1	0.20	0.51
8	पूर्वी सिंहभूम	120	0.060	5	0.75	30	0.15	60	0.12	1	0.20	1.28
9	सरायकेला	140	0.070	0	0.00	30	0.15	60	0.12	0	0.00	0.34
10	दुमका	80	0.040	0	0.00	30	0.15	30	0.06	1	0.20	0.45
11	जामताड़ा	60	0.030	0	0.00	30	0.15	30	0.06	0	0.00	0.24
12	साहेबगंज	60	0.030	5	0.75	40	0.20	30	0.06	0	0.00	1.04
13	पाकुड़	60	0.030	0	0.00	40	0.20	30	0.06	0	0.00	0.29
14	हजारीबाग	120	0.060	0	0.00	70	0.35	30	0.06	1	0.20	0.67
15	रामगढ़	60	0.030	0	0.00	30	0.15	50	0.10	1	0.20	0.48
16	कोडरमा	60	0.030	0	0.00	70	0.35	50	0.10	1	0.20	0.68
17	चतरा	60	0.030	7	1.00	30	0.15	30	0.06	0	0.00	1.24
18	बोकारो	80	0.040	0	0.00	50	0.25	60	0.12	0	0.00	0.41
19	गिरिडीह	60	0.030	5	0.75	50	0.25	50	0.10	0	0.00	1.13
20	घनबाद	100	0.050	0	0.00	45	0.23	50	0.10	0	0.00	0.38
21	गोड्डा	60	0.030	0	0.00	45	0.23	30	0.06	0	0.00	0.32
22	पलामू	60	0.030	0	0.00	30	0.15	30	0.06	0	0.00	0.24
23	गढ़वा	60	0.030	0	0.00	20	0.10	30	0.06	0	0.00	0.19
24	देवघर	140	0.070	0	0.00	60	0.30	60	0.12	1	0.20	0.69
कुल योग :		2000	1.000	27	4.00	1000	5.00	1000	2.00	12	2.40	14.40

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(चौदह लाख चालीस हजार ₹० मात्र)

06  
15/4/17

(पूजा सिंघल)  
सरकार के सचिव

परिशिष्ट IV

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-53-कृषि, म्युचुअल एवं सहकारीता विभाग(मत्स्य प्रभाग) मत्स्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, कृषुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत वित्तवार वार्षिक एवं वित्तीय तालिका

वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-53-प्रशिक्षण व्यय

क्र.सं.	स्वतंत्रता / विभाग का नाम	मत्स्य वीथ उपप्रकारों का 03 वित्तीय प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों को तैयार करीक तालिका)					मत्स्य वीथ उपप्रकारों का 03 वित्तीय कार्यक्रमों (प्रशिक्षणार्थियों को तैयार करीक तालिका)					05 वित्तीय प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों को तैयार करीक तालिका)					वित्तीय शीर्ष-05 (विभाग-43-कृषुसंधान,मत्स्यवर्षी एवं सुवर्षीकरण (सामग्री) विभाग) तालिका					वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक (विभाग) तालिका					वित्तीय योग (तालिका क्र. में)
		101-अनुसंधान मछली पालन	796-जनसंख्या क्षेत्र उपयोजना	799-उपशुल्क वार्षिक के लिए प्रत्येक योजना	उप योजना	अनुसंधान मछली पालन	796-जनसंख्या क्षेत्र उपयोजना	799-उपशुल्क वार्षिक के लिए प्रत्येक योजना	उप योजना	अनुसंधान मछली पालन	796-जनसंख्या क्षेत्र उपयोजना	799-उपशुल्क वार्षिक के लिए प्रत्येक योजना	उप योजना	15-जनसंख्या क्षेत्र उपयोजना	101-अनुसंधान मछली पालन	796-जनसंख्या क्षेत्र उपयोजना	101-अनुसंधान मछली पालन	796-जनसंख्या क्षेत्र उपयोजना	101-अनुसंधान मछली पालन	796-जनसंख्या क्षेत्र उपयोजना							
1	रक्षा	0	600	90	690	0	600	90	690	0	580	90	670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00				
2	रक्षा	0	200	40	240	0	200	40	240	0	310	50	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
3	गुणवत्ता	0	400	50	450	0	400	50	450	0	480	90	570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
4	विमर्श	0	200	20	220	0	200	20	220	0	310	36	346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
5	तैयारियां	0	200	40	240	0	200	40	240	0	310	50	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
6	तैयारियां	0	250	30	280	0	250	30	280	0	310	50	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
7	पशु विज्ञान	0	400	30	430	0	400	30	430	0	430	62	492	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
8	पूर्व विज्ञान	0	250	30	280	0	250	30	280	0	438	57	495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
9	संरचना	0	400	30	430	0	400	30	430	0	490	72	562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
10	संरचना	0	350	30	380	0	350	30	380	0	380	62	442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
11	संरचना	0	250	30	280	0	250	30	280	0	290	46	336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
12	संरचना	0	250	40	290	0	250	40	290	0	310	50	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
13	संरचना	0	250	40	290	0	250	40	290	0	260	50	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
14	संरचना	220	0	70	290	220	0	70	290	360	0.00	90	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
15	संरचना	160	0	30	190	160	0	30	190	320	0.00	50	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
16	संरचना	170	0	70	240	170	0	70	240	360	0.00	50	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
17	संरचना	160	0	30	190	160	0	30	190	270	0.00	52	322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
18	संरचना	200	0	50	250	200	0	50	250	360	0.00	90	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
19	संरचना	170	0	50	220	170	0	50	220	320	0.00	72	392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
20	संरचना	210	0	45	255	210	0	45	255	400	0.00	70	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
21	संरचना	190	0	45	235	190	0	45	235	280	0.00	50	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
22	संरचना	120	0	30	150	120	0	30	150	267	0.00	62	329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
23	संरचना	120	0	20	140	120	0	20	140	280	0.00	62	342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
24	संरचना	280	0	60	340	280	0	60	340	410	0.00	62	472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00					
योग : शीर्षक तालिका		2000	4000	1000	7000	2000	4000	1000	7000	3627	4898	1475	10000	0	0	0	0	0	0	38.00	38.00	38.00					
25	मत्स्य निदेशिका का विभाग	4.50	9.00	2.25	15.75	24.50	49.00	12.25	85.75	61.66	83.27	25.08	170.00	11.50	13.00	19.00	18.00				342.00						
26	मत्स्य निदेशिका का विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6.00					14.00						
27	संयोजित विभाग का विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00						2.00					
योग : वित्तीय तालिका		4.50	9.00	2.25	15.75	24.50	49.00	12.25	85.75	61.66	83.27	25.08	170.00	11.50	13.00	38.00	38.00				382.00						

नोट :- कर्तविकृत तालिका को आइटम नहीं समझा जाए।

(पीन करीब बेरती तालिका का मांग)

06  
15/11/17

(हस्ताक्षर)

सरकार के अधिकारी

परिशिष्ट V

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग)मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-  
उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	कुल वित्तीय योग (लाख ₹ में)
		म०कि० प्र०के०	अनुसंधान	जमशेदपुर	बोकारो	गुमला	चाईबासा	सरायकेला	
क	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन								
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री								
1	शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में 5000 कि०ग्रा० पंगस मछली का उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2	महिलाओं के स्वनिर्वाहन हेतु रंगीन मछलियों का पालन, संवर्द्धन तथा विपणन का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	10	0	10	0	0	0	20
3	महिलाओं के स्वनिर्वाहन हेतु रंगीन मछलियों का पालन, संवर्द्धन तथा विपणन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00
4	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	0	0	30	0	0	0	30
5	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
6	समेकित मत्स्य पालन, रख-रखाव एवं अन्य प्रायोगिक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
7	प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम का रखरखाव एवं अन्य प्रयोगात्मक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
उप योग		8.00	12.75	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	23.75
ii	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय								
8	2000 मि०टी पानी की जाँच का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
योग : 101 :		8.00	13.75	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	24.75

ख	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना								
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री								
1	मिट्टी पानी जाँच किट तथा रंगीन मछलियों का प्रजनन एवं विस्तारीकरण कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	6.70	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2	महिलाओं के स्वनिर्वाहन हेतु रंगीन मछलियों का पालन, संवर्द्धन तथा विपणन का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	35	0	10	15	15	100
3	महिलाओं के स्वनिर्वाहन हेतु रंगीन मछलियों का पालन, संवर्द्धन तथा विपणन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	3.75	5.25	0.00	1.50	2.25	2.25	15.00
4	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	60	60	15	30	20	30	215
5	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	3.00	3.00	0.75	1.50	1.00	1.50	10.75
6	विभागीय तालाबों में देशी मांगुर तथा कवई आदि नई प्रजातियों के प्रायोगिक पालन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
उप योग		2.00	15.45	13.25	0.75	3.00	3.25	3.75	41.45
ii	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय								
7	आई.टी. बेस्ड कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
योग : 796 :		2.00	15.95	13.25	0.75	3.00	3.25	3.75	41.95

ग	लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना								
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री								
1	महिलाओं के स्वनिर्वाहन हेतु रंगीन मछलियों का पालन, संवर्द्धन तथा विपणन का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	10	5	10	5	5	5	40
2	महिलाओं के स्वनिर्वाहन हेतु रंगीन मछलियों का पालन, संवर्द्धन तथा विपणन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	1.50	0.75	1.50	0.75	0.75	0.75	6.00
योग : 789 :		0.00	1.50	0.75	1.50	0.75	0.75	0.75	6.00
कुल योग		10.00	31.20	14.00	5.25	3.75	4.00	4.50	72.70

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

06  
15/4/17

(मो०) बहत्तर लाख सत्तर हजार ₹ मात्र)

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव